न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05/2025 G.C.M.S. No. 2025/12 दर्ज दिनांक : 27.01.2025

अपीलार्थी:

1. रामा पुत्र धरमा, जाति कोली, उम्र वयस्क, पेशा खेती, साकिन दौलपुरा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. दरगाराम पुत्र अचला, जाति कोली, निवासी दौलपुरा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
2. हंसाराम पुत्र अचला, जाति कोली, निवासी दौलपुरा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही।
3. मृत तलसा पुत्र धरमा, जाति कोली, निवासी दौलपुरा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही के कायम मुकाम:-
   - 3/1 राम पुत्र तलसाराम कोली, मुकाम/पोस्ट दौलपुरा, वाया करोटी, तहसील रेवदर।
   - 3/2 बाबु पुत्र तलसाराम कोली, मुकाम/पोस्ट दौलपुरा, तहसील रेवदर।
   - 3/3 प्रताप पुत्र तलसाराम कोली, मुकाम/पोस्ट दौलपुरा, तहसील रेवदर।
   - 3/4 कनका पुत्री तलसाराम पत्नि रणछोड़राम कोली, निवासी हड़मतिया, पोस्ट अनादरा, तहसील रेवदर।
4. पारू बेवा काला कोली सा. दौलपुरा, तहसील रेवदर, जिला सिरोही के का.मु.-
   - 4/1 दिनेश पुत्र काला कोली, मु.पो. दौलपुरा, तहसील रेवदर।
   - 4/2 भावी पुत्री काला पत्नि भमरा कोली मु. लिलोरा, पोस्ट धवली, तहसील रेवदर।
   - 4/3 हंजा पुत्री काला पत्नि करमी कोली, सा. वोती पोस्ट मीठन, तहसील रेवदर।
   - 4/4 पंकु पुत्री काला पत्नि हंसा कोली, सा. धानेरा, पोस्ट डाक तहसील रेवदर।
   - 4/5 सनी पुत्री काला पत्नि कैलाश कोली, सा. धानेरा, पोस्ट डाक तहसील रेवदर।
   - 4/6 लसी पुत्री काला, पत्नि लाखाराम कोली, सा. रामपुरा खेड़ा, पोस्ट दौलपुरा, तहसील रेवदर।
   - 4/7 दाडी पुत्री काला पत्नि प्रकाश कोली, सा. धानेरा, पोस्ट डाक तहसील रेवदर।

   मृतकगण रेस्पोंडेंट्स क्रमांक 3 व 4 के उपरोक्त दर्ज अनुसार विधिक प्रतिनिधि जीवित है तथा वयस्क है एवं पुत्रियां सभी शादीशुदा है। इनके अतिरिक्त और कोई जीवित विधिक प्रतिनिधि नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2007 बअनवान दरगाराम वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2024

पैरोकार–

1. श्री हंसराज पुरोहित, श्री अशोक कुमार पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, श्री भागीरथसिंह देवड़ा, श्री राजेश पुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 27.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2007 बअनवान दरगाराम वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में मातहत न्यायालय सहायक कलक्टर रेवदर की फाईनल डिक्री मय निर्णय दिनांक 28.11.2024 बाबत् खातेदारी हकों की घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राज काश्तकारी अधिनियम सर्वथा विधिविरूद्ध एवं विधिक रूप से सर्वथा दोषपूर्ण है। चूंकि मातहत न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट्स क्रमांक 3 व 4 क्रमशः तलसा पुत्र धरमा कौली सा० दौलपुरा एवम् श्रीमति पारू बेवा कालाजी कौली, सा० दौलपुर जो वाद विचारण के दौरान् फौत हो चुके, उनके विरूद्ध प्रश्नगत डिकी/निर्णय 28.11.2024 पारित की है, जो निर्णय/डिक्री प्रारम्भतः शून्य है। चूंकि मातहत् न्यायालय ने प्रश्नगत् डिक्री/निर्णय दिनांक 28.11.2024 विधि की अज्ञानता में सर्वथा अनियमित रूप से पारित की गयी हैं। सहायक कलेक्टर रेवदर की डिक्री/निर्णय जो धारा 88 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत् तथाकथित वादीगण ने प्रश्नगत् खसरा नम्बर 469 रकबा 2 बीघा के संबंध में उनका मुखालफाना कब्जा मानकर पारित किया है, जबकि विधिक स्थिति अनुसार कृषि भूमि के संबंध में एडवर्स पजेशन के आधार मानकर किसी को भी खातेदारी हक प्रदान नहीं किये जा सकते। मातहत् न्यायालय ने सर्वथा मिथ्या, असंगत् एवं विधि विरूद्ध निर्णय/डिकी पारित की हैं। मातहत् न्ययालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि उक्त प्रकरण राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 गलतियों का शुद्धिकरण का है। प्रश्नगत् खसरा नम्बर 469 रकबा 2 बीघा ब01 मौजा धवली, तहसील रेवदर के राजस्व खाता संख्या 194 में पूर्व से खातेदारान् के कॉलम् में धरमा पुत्र गमना कौली सा० दौलपुर दर्ज है। वादीगण दरगाराम व हंसाराम (रेस्पोंडेन्ट्स कमांक 1 व 2) के स्व० पिता अचलाजी के नाम से नहीं, इसके बावजूद मातहत् न्यायालय ने बिना किसी निश्चयात्मक सबूत दस्तावेजी के वादीगण का 50 वर्षों का कब्जा मानकर एडवर्स पजेशन को आधार मानकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादीगण के साथ दुरभिसंधि कर सर्वथा गलत निर्णय पारित किया है। चूंकि मातहत् न्यायालय ने वाद विचारण के दरम्यान प्रतिवादी तलसा पुत्र धरमाजी कौली, सा० दौलपुरा की मृत्यु दिनांक 28.03.2019 को होने के उपरान्त उसके सभी उत्तराधिकारीगण को वादीगण द्वारा मृतक की जगह उसके वारिसान् को बिना पक्षकार बनाये प्रश्नगत् निर्णय/डिक्री पारित किया है, जो अपीलांट के हितों के विरूद्ध सर्वथा निरस्तनीय है। मातहत् न्यायालय ने वादीगण के गवाह पी०डब्लयू 1 हसाराम पुत्र अचलाजी कौली एवम् प्रतिवादीगण के गवाह डी०डब्ल्यू 1 प्रताप पुत्र तलसाजी कौली एवम् डी०डब्लयू 2 रामजी पुत्र तलसारामजी कौली के मौखिक साक्ष्य मय दस्तावेजी साक्ष्य का विधि के अनुसार विवेचन नहीं किया। मातहत न्यायालय का निर्णय/डिक्री कानूनी एवं वाक्याति अनुसार सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2024 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम किए गए तथा उभयपक्षकारान की साक्ष्य उपरांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं।
3. वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात वादी के पिता अचला पुत्र गमना कोली की खातेदारी आराजी थीं। लेकिन जमाबंदी में गलती से धरमा पुत्र गमना दर्ज कर दिया गया। जो आज दिन तक चली आ रही हैं तथा इस कारण उक्त आराजी में नामांतरण भी स्वीकृत नहीं हुआ है। वादीगण के पिता अचला पुत्र गमना का दिनांक 10.03.1982 को देहांत हो गया। वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण व उनके पिता का कब्जाकाश्त है एवं राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से वादी के पिता अचला के स्थान पर धरमा दर्ज हुआ। उक्त धर्मा पुत्र गमना कोली के नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, के आधार पर वादीगण को खातेदार अभिधारी घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 वस्तुतः धरमा वल्द माला कोली के वारिसान है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता/पूर्वज धरमा पुत्र माला कोली की खातेदारी होने एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती से धरमा पुत्र माला कोली की जगह धरमा पुत्र गमना कोली दर्ज कर देने एवं वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त होने के आधार पर वादपत्र का खण्डन किया है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल चार विवाद्यक कायम किए गए। जिसमें से विवाद्यक संख्या 1 से 3 वादीगण के जिम्मे व विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी के जिम्मे रखा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 से 4 वादी के पक्ष में निर्णित की गई हैं।

5. वादपत्र जवाबदावा उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में वस्तुतः वादग्रस्त आराजी जोकि धरमा वल्द गमना के नाम भू–अभिलेख में दर्ज है। वादीगण द्वारा उक्त प्रविष्टि गलत होने तथा वादीगण के पिता धरमा के पिता जोकि अचला है, के स्थान पर गलत नाम गमना दर्ज कर दिये जाने एवं वादीगण धरमा वल्द अचला के विधिक वारिस होने व वादग्रस्त आराजीयात धरमा वल्द अचला की खातेदारी आराजी होने का दावा करते हैं। वहीं प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी उनके पूर्वज धरमा वल्द माला की खातेदारी आराजी होने तथा भू–अभिलेख में धरमा के पिता माला के स्थान पर गलत रूप से अचला दर्ज कर देने के आधार पर वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी होने से वादपत्र का विरोध किया है।

6. पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी3 खतौनी बंदोबस्त संवत 2014 से 2033 के अंकन अनुसार वादग्रस्त आराजी में धरमा वल्द कोली खातेदार दर्ज है। प्रदर्श पी2 तहसीलदार रेवदर द्वारा पत्रांक 4 दिनांक 02.01.2006 द्वारा उपखंड अधिकारी रेवदर को प्रेषित जवाब के अंकन अनुसार धरमा पुत्र गमना नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं। परंतु धरमा पुत्र माला नाम का काश्तकार है। जिसका अचला पुत्र गमना की खातेदारी भूमि से कोई लेना–देना नहीं हैं। वादग्रस्त आराजीयात पर हंसाराम, दरगाराम पि. अचला के द्वारा कई वर्षों से काश्त की जा रही हैं। जमाबंदी में धरमा पुत्र गमना नाम की गलती से अचला पुत्र गमना के उत्तराधिकारियों के नाम नामांतरण दायर नहीं किया जा सका। प्रदर्श पी1 पटवारी हल्का की मौका फर्द दिनांक 01.10.2005 के अंकन अनुसार भी वादग्रस्त आराजी पर हंसाराम, दरगाराम पि. अचला का कई वर्षों से काश्त है। प्रदर्श पी4 सरपंच ग्राम पंचायत दौलपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 05.09.2005 के अंकन अनुसार ग्राम दौलपुरा में अचला पुत्र गमना कोली नाम के व्यक्ति की मृत्यु दिनांक 10.03.1982 को हो गई। जिनके

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वारिस हंसा व दरगा है। प्रतिवादी साक्ष्य में प्रस्तुत गवाह प्रतापराम पुत्र तलसा डीडब्ल्यू 1 द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया गया कि मैं वादग्रस्त जमीन पर कभी नहीं गया। मेरे परिवार वाले इस जमीन पर कभी नहीं गए। अतः यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात का प्रतिवादीगण या इनके पिता माला से कोई संबंध नहीं हैं। खतौनी बंदोबस्त में दर्ज खातेदार की वल्दियत के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि खातेदार के पिता का नाम गमना है तथा गमना के धरमा नाम का कोई पुत्र नहीं होना एवं धरमा पुत्र गमना कोली नाम का कोई व्यक्ति स्थानीय गांव में होना साबित नहीं हैं। अतः यह स्पष्ट है कि खातेदार के रूप में दर्ज धरमा नाम की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है। प्रस्तुत साक्ष्य व गवाह बयानात एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार के जवाब से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण जोकि अचला पुत्र गमना के वारिस है, का कब्जाकाश्त है तथा वादग्रस्त आराजीयात का भूप्रबंध से वर्तमान तक विरासतन नामांतरण स्वीकृत नहीं हुआ है। इससे भी स्पष्ट है कि धरमा नाम की दर्ज प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है, बल्कि गमना के पुत्र के रूप में वादीगण के पिता व काबिज काश्त अचला का नाम भूप्रबंध से ही दर्ज किया जाना अपेक्षित था। जोकि नहीं किया जाकर गलत प्रविष्टि दर्ज की गई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया है। जिसमें हमारे विनम्र मत में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

7. अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2007 बअनवान दरगाराम वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2024 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली